<u>न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अंजड जिला बडवानी</u> समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पांडेय'

<u>आपराधिक प्रकरण क्रमांक 31/2014</u> संस्थित दिनांक—16.01.2014

मनमोहन पिता नानूराम यादव, आयु-35 वर्ष, व्यवसाय-कृषि निवासी ग्राम सेगवाल, तहसील ठीकरी, जिला बडुवानी

.....परिवादी

वि रू द्व

यशवंत पिता सीताराम यादव, आयु–50 वर्ष, व्यवसाय–कृषि, निवासी ग्राम सेगवाल, तहसील ठीकरी, जिला बडुवानी

....अभियुक्त

परिवादी द्वारा	– श्री एल.के. जैन अधिवक्ता ।
अभियुक्त द्वारा	– श्री बी.के. सत्संगी अधिवक्ता ।

—: <u>निर्णय</u>:— (आज दिनांक 31/03/2016 को घोषित)

- 1. अभियुक्त के विरूद्ध परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद दिनांक 28.02.12 के आधार पर दिनांक 25.05.11 को सुबह लगभग 9:00 बजे कुंए के पास, ग्राम सेगवाल में अभियुक्त ने परिवादी मनमोहन को सख्त एवं बोथरी वस्तु लकड़ी से मारपीट कर स्वैच्छापूर्वक उपहित कारित करने के लिये भा.द.वि. की धारा—323 के अंतर्गत अभियोग है ।
- 2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि परिवादी तथा साक्षी अभियुक्त को पहचानते हैं तथा परिवादी और अभियुक्त एक ही परिवार के सदस्य हैं एवं अभियुक्त यशवंत ने परिवादी तथा उसके परिवार के तीनों सदस्यों के विरूद्ध इसी न्यायालय में आपराधिक परिवाद क्रमांक 474 / 11 पेश किया है, जिसका भी निर्णय आज ही घोषित किया जा रहा है।
- 3. परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी के पिता नानूराम के चार भाई हैं, उनके बीच खेती का बंटवारा हो चुका है । खेत के कुंए से सभी सिंचाई करते हैं । परिवादी दिनांक 25.05.11 को कुंए में पानी की मोटर लगाने गया था तो अभियुक्त यशवंत ने जो खेत में काम करने गया था, उसे मोटर डालने से मना किया, उसने कहा कि कुंए पर सभी का हिस्सा है तो अभियुक्त ने कहा था कि दादा को लेकर आओ और अभियुक्त ने परिवादी को जांघ पर पीछे से लकड़ी मारी । परिवादी के पिता नानूराम और हुकुमचंद आ गये थे तो उसने बताया कि मोटर डालने नहीं दे रहा है और उसे मारा है तो नानूराम और हुकुमचंद ने उसे कहा कि मोटर क्यों नहीं डालने देता है तो अभियुक्त यशवंत गाली—गालौज

कर झगड़ा करने लगा तथा परिवादी को लकड़ी बाएं हाथ में मारी और हुकुमचंद को पेट में लात मारी और अभियुक्त ने स्वयं पत्थर अपने सिर में मार लिया । इस घटना की रिपोर्ट परिवादी ने अंजड़ थाने पर की, लेकिन पुलिस ने असंज्ञेय अपराध दर्ज कर न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया, इसलिए यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है ।

4. उक्त अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा—323 का आरोप लगाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध को अस्वीकार किया गया है तथा अपना विचारण चाहा है । भा.द.सं. की धारा—313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि रंजिश के कारण उसे झूठा फॅसाया गया है तथा झूठी रिपोर्ट एवं झूठा परिवाद पेश किया है, किंतु अभियुक्त ने बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :--

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्तं ने घटना दिनांक 25.05.11 को सुबह 9:00 बजे कुंए के पास ग्राम सेगवाल में मनमोहन को सख्त एवं बोथरी वस्तु लकड़ी से स्वैच्छापूर्वक उपहति कारित की गयी ?
2	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 का निराकरण :-

- 6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में साक्षी परिवादी मनमोहन (प.सा.1) का कथन है कि लगभग 5 वर्ष पूर्व सुबह 9:00 बजे वह कुंए पर मोटर डालने गया था तो अभियुक्त ने कुंए पर मोटर डालने से मना किया था और कहा था कि दादाजी को लेकर आ तो मोटर डालने दूंगा तथा अभियुक्त ने उसके साथ लकड़ी से मारपीट की थी, जिससे उसे जांघ व हाथ पर चोटे आयी थीं । उसी समय उसके पिता नानूराम और हुकुमचंद आ गये थे, उन्होंने कहा था कि मोटर क्यों नहीं चलने देते तो अभियुक्त ने उनके साथ भी मारपीट एवं गाली—गालौज की थी तथा उसके काका हुकुमचंद को लात मारी थी तथा उसके हाथ पर लकड़ी मारी थी तथा पत्थर हाथ से लेकर सिर पर मार दिया था । उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना ठीकरी पर की थी, पुलिस ने अदम चेक काटा था जो प्र.पी.1 का है, जिसके ए से ए और बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उसे न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था ।
- 7. बचाव—पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में परिवादी ने स्वीकार किया है कि अभियुक्त और उसका खेत पास—पास है, लेकिन परिवादी ने यह स्पष्ट किया है कि कुंआ संयुक्त रूप से है, जिससे वे सभी सिंचाई करते हैं । परिवादी ने स्वीकार किया कि दोनों खेतों के बीच मेंढे बनी हैं । परिवादी ने यह स्वीकार किया कि उसके विरूद्ध भी अभियुक्त ने परिवाद पेश किया है । परिवादी ने स्वीकार किया है कि अभियुक्त की दो बीघा जमीन है, जिसमें कुंआ है और वह घटना दिनांक को वे कुंए पर मोटर डालने गये थे, तो अभियुक्त ने दादाजी से पूछने का कहा था । यह

अस्वीकार किया है कि उसी समय उसने, नानूराम, दशरथ, हुकुमचंद एवं हेमंत ने अभियुक्त के साथ मारपीट एवं गाली—गालौज की थी । परिवादी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने स्वयं के सिर पर पत्थर मार लिया था । परिवादी ने स्वीकार किया कि घटना के समय दशरथ एवं देवराम हाजिर नहीं थे एवं उनके खेत भी वहां नहीं हैं । परिवादी ने यह स्वीकार किया है कि उसने परिवाद—पत्र के साथ बंटवारा लेख व संयुक्त खाते की नकलें पेश नहीं की हैं, लेकिन परिवादी ने यह अस्वीकार किया है कि वह असत्य कथन कर रहा है ।

- 8. साक्षी हुकुमचंद (प.सा.2), नानूराम (प.सा.3) ने भी घटना दिनांक को मनमोहन द्वारा कुंए पर मोटर डालने के प्रयास के दौरान अभियुक्त ने उनके साथ मारपीट करने के संबंध में कथन किये हैं । साक्षियों का कथन है कि अभियुक्त स्वयं ने अपने हाथ से पत्थर सिर पर मार लिया था और वे लोग रिपोर्ट करने गये थे । बचाव—पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी हुकुमचंद (प.सा.2) ने स्वीकार किया है कि कुआं आरोपी के हिस्से में आए खेत में है । कुंए के हिस्से की कोई लिखा—पढ़ी नहीं हुई थी । उसे ध्यान नहीं है कि बंटवारा कितने वर्ष पूर्व हुआ था । साक्ष ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त ने उसके विरुद्ध प्रकरण पेश किया है, जो विचारण में है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उन्होंने अभियुक्त के साथ मारपीट की थी और अभियुक्त ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की है ।
- 9. बचाव—पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी नानूराम (प.सा.3) ने स्वीकार किया है कि कुआ अभियुक्त के खेत में होकर उसके हिस्से में है, लेकिन यह अस्वीकार किया है कि वे जबरन रूप से अभियुक्त के कुएं में मोटर डालने गये थे । यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने कुएं में मोटर डालने नहीं दी थी, इस बात को लेकर उनके साथ विवाद किया था । यह भी स्वीकार किया है कि उसी दिन अभियुक्त ने उनके विरूद्ध रिपोर्ट की थी और उनके विरूद्ध प्रकरण लंबित है । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने अभियुक्त के सिर में पत्थर मारा था, जिससे उसके सिर में चोट आई थी । साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि अभियुक्त के हिस्से में कौन से सर्वे नंबर की जमीन आई है । उक्त भूमि उनके पिताजी के नाम से है । यह अस्वीकार किया है कि वह असत्य कथन कर रहा है ।
- 10. परिवादी ने अपने समर्थन में उसके द्वारा दिनांक 25.05.11 को सुबह 10:30 बजे अभियुक्त के विरूद्ध लिखायी गयी असंज्ञेय अपराध क्रमांक 214/11 की प्रतिलिपि प्र.पी.1 प्रमाणित करायी गयी है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा उक्त रिपोर्ट प्रकरण के अभियुक्त यशवंत द्वारा अदम चेक क्रमांक 213/11 लिखाने के एक घंटे पश्चात् थाने पर दर्ज करायी गयी है तथा अभियुक्त के परिवाद के आधार पर भी परिवादी एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण न्यायालय में दर्ज है, जिसका भी निर्णय आज ही घोषित किया जा रहा है । परिवादी की साक्ष्य से स्पष्ट है कि उभयपक्षों के मध्य अभियुक्त के हिस्से के खेत में स्थित कुंए के पानी के उपयोग को लेकर विवाद है, जिसके आधार पर यह घटना घटित हुई है । परिवादी की ओर से स्वयं को चोट आने के संबंध में कोई मेडिकल—परीक्षण के दस्तावेज पेश या प्रमाणित नहीं कराये गये हैं । परिवादी द्वारा उक्त अदम चेक क्रमांक 214/11 अभियुक्त यशवंत द्वारा लिखाये जाने के बाद दर्ज करायी गयी है, जिससे स्पष्ट होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराने के बाद परिवादी ने यह रिपोर्ट

अपने बचाव में दर्ज करायी है तथा उभयपक्ष के मध्य कुंए से पानी लेने की बात को लेकर जो विवाद है, उसी कारण दोनों पक्षों के मध्य मुक्त रूप से विवाद हुआ है, जिसमें कौन सा पक्ष 'अग्रेसर' रहा है, इसकी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर परिवादी के साथ सख्त एवं बोथरी वस्तु लकड़ी से मारपीट कर उसे स्वैच्छापूर्वक उपहत कारित की थी । परिवादी अभियुक्त के विरूद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है ।

विचारणीय प्रश्न कमांक 2 'निष्कर्ष' एवं 'दण्डादेश' :-

- 11. उक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा—323 का अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है । अतः अभियुक्त यशवंत पिता सीताराम यादव, आयु—50 वर्ष, व्यवसाय—कृषि, निवासी ग्राम सेगवाल, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी को भा.द.वि. की धारा—323 के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है ।
- 12. अभियुक्त के जमानत—मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड् जिला—बड्वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड, जिला—बड़वानी, म.प्र.